राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जिला डीडवाना–कुचामन

क्रमांकः रसद /FPS/विज्ञप्ति/2025/राजकाज दिनांक : यथाहस्ताक्षर

विज्ञप्ति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले में भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत एवं जनहित में उचित मांग के आधार पर उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एंव पात्र व्यक्तियों से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

इस हेतु खाद्य विभाग के पत्रांक एफः 17(1) खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.06.2016 एवं एफ 17 (5) खावि/न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा जारी उचित मुल्य दुकानों के आवंटन हेतु दिशा निर्देशों के तहत सशुल्क (100/– रूपये का पोस्टल ऑर्डर) आवेदन पत्र आमंत्रित दिनांक 14.07.2025 से कार्यालय समय में (प्रार्थी स्वयं द्वारा) प्राप्त किए जाकर अंतिम दिनांक 13.08.2025 सायं 5 बजे तक (राजकीय अवकाशों को छोड़ते हुऐ) निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय जिला रसद अधिकारी, डीडवाना–कुचामन में जमा करवाये जा सकेंगे। आवेदन पत्र आवेदनकर्ता द्वारा निर्धारित समय अवधि में स्वयं को कार्यालय में उपस्थित होकर जमा करवाना होगा अन्य किसी भी माध्यम यथा डाक/अन्य व्यक्ति से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। सभी रिक्तियों के लिए 30 प्रतिशत महिलाओं (बेरोजगार) का क्षैतिज आरक्षण/वरीयता को रखा गया है।

नवीन प्रस्तावित उचित मूल्य की दुकानों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	तहसील/ उपखण्ड	वितरण केन्द्र का नाम	ग्राम पंचायत/न.प./न.पा.	महिला (बेरोजगार) आरक्षण	विशेष विवरण
1	लाडनूं	राजपूतों एवं मेघवालों का मोहल्ला ग्राम कसूम्बी, जाखला	ग्राम पंचायत कसूम्बी	अनारक्षित	नवसृजित
2	लाडनूं	आम गुवाड़, ग्राम अनेसरिया	ग्राम पंचायत सारड़ी	अनारक्षित	नवसृजित
3	लाडनूं	मगरा बास	नगरपालिका लाडनूं	अनारक्षित	नवसृजित
4	लाडनूं	स्वामियों का मोहल्ला, ग्राम रामपुरिया	ग्राम पंचायत ध्यावा	अनारक्षित	नवसृजित
5	लाडनूं	पाबू जी मन्दिर, ग्रम कोयल	ग्रम पंचायत दुजार	महिला आरक्षित	नवसृजित
6	परबतसर	ग्राम बिदियाद	ग्राम पंचायत बिदियाद	महिला	नवसृजित

Signature valid
Digitally signed by Upendra Dhaka
Designation : District Supply Officer
Date: 2025.07.09 12:13:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16056890

				आरक्षित	
7	परबतसर	खोखरिया	ग्राम पंचायत नैतियास	अनारक्षित	नवसृजित
8	परबतसर	परबतसर शहर	नगरपालिका परबतसर	अनारक्षित	नवसृजित
9	परबतसर	बागोट	ग्राम पंचायत बागोट	अनारक्षित	नवसृजित
10	कुचामन सिटी	ग्राम पलाड़ा	ग्राम पंचायत पलाड़ा	अनारक्षित	नवसृजित
11	कुचामन सिटी	चितावा	ग्राम पंचायत चितावा	अनारक्षित	नवसृजित
12	कुचामन सिटी	ग्राम शिवदानपुरा	ग्राम पंचायत दीपपुरा	अनारक्षित	नवसृजित
13	कुचामन सिटी	छापरी	ग्राम पंचायत प्रेमपुरा	अनारक्षित	नवसृजित
14	कुचामन सिटी	देवनगर	ग्राम पंचायत जिजोट	महिला आरक्षित	नवसृजित
15	नावां	ग्राम शेखावत	ग्राम पंचायत देवली	महिला आरक्षित	नवसृजित
16	मकराना	जसवन्तपुरा	ग्राम पंचायत डोबड़ी कलां	महिला आरक्षित	नवसृजित
17	मकराना	कल्याणपुरा गौरावा	ग्राम पंचायत रामसिया	महिला आरक्षित	नवसृजित
18	मकराना	लाडपुर	ग्राम पंचायत गेलासर	अनारक्षित	नवसृजित
19	मकराना	रायथलिया	ग्राम पंचायत आसरवा	अनारक्षित	नवसृजित
20	मकराना	धानणवां	ग्राम पंचायत धानणवां	महिला आरक्षित	नवसृजित

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ 17(1) खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं समय–समय पर जारी अन्य निर्देशों तथा एफ (5) खावि/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा जारी उचित मुल्य दुकानों के आवंटन के दिशा–निर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। उक्त निर्देश तथा नव सृजित उचित मुल्य की दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट food.rajasthan.gov.in व जिला रसद कार्यालय डीडवाना–कुचामन में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

उचित मुल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदनकर्ताओं की पात्रताए निम्नानुसार होगी–

1. शहरी क्षेत्र की उचित मुल्य दुकान हेतु आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात उस उचित

Signature valid

Digitally signed by Upendra Dhaka
Designation: District Supply Officer
Date: 2025.07.09 12:13:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16056890

मुल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्र की उचित मुल्य दुकान के मामले में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मुल्य दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को ही जायेगी, जिसमें उचित मुल्य दुकान स्थित है।

2. उचित मुल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की उम्र 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए अर्थात उचित मुल्य दुकान की आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष के कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं कम्प्युटर में राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (RKCL) या अन्य 'समकक्ष सरकारी संस्थान का 3 माह आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए।' यदि उचित मुल्य दुकानों के आवेदको में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदको के प्रार्थना पत्रों को चयन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्युटर में RKCL का या समकक्ष प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह घोषणा पत्र भी लिया जावेगा, कि वह चयनित होने के छः माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्ति को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार पत्र दिया जावेगा।
4. आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होंगे। यदि आवेदक पहले से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करता है, तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्शा–स्वामित्व–किरायानामा आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगें।
5. उचित मुल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष /महिला के दिनांक 01 जनवरी 2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। निर्धारित तिथि पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मुल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मुल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मुल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा होती है तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समक्षा जाये।
6. आवेदक को दुकान आंवटन के उपरान्त जिस वितरण स्थल पर वितरण हेतु अधिकृत किया जावेगा, वह स्थान कम से कम 30 फीट रोड पर स्थित होना चाहिए तथा उसका आकार 10 गुना 20 अर्थात 200 वर्गफीट न्यूनतम होना आवश्यक है। इस वितरण स्थल के तीन ब्लूप्रिन्ट नक्शे आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।

Signature valid
Digitally signed by Upendra Dhaka
Designation : District Supply Officer
Date: 2025.07.09 12:13:36 IST
Reason: Approved

7. आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुए एक घोषणापत्र लिया जावेगा–
   - आवेदक पूर्व में E.C. एक्ट के अन्दर दण्डित नहीं हुआ है।
   - आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जायेगा।
   - आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा माता–पिता पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नहीं है।
   - आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
   - आवेदक स्वयं निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है।
   - आवेदक बालिग एवं स्वस्थचित है, चाल–चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।
   - आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नहीं होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।
8. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 1,00,000/– रूपये का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25,000/– होना आवश्यक है।
9. महिला स्वयं सहायता समूह, जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदन महिला स्वयं सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्यानुभव के आंकलन के निम्न आधार होंगे।
   - समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष पूर्व का हो।
   - समूह का कम से कम तीन वर्ष पूर्व बैंक में खाता खुला हो।
   - समूह के सदस्य तीन वर्षो से आंतरिक लेन–देन में संलग्न हो।
10. आवेदक/समितियों/समूह/निकाय में सचिव/प्रबंधक का कम्प्युटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओ को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (बृहतर क्षेत्रिय बहुउद्देशीय सहाकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।
12. प्रत्येक आवेदन अथवा पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सहकारी समिति/लैम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मामले में) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय है। उक्त प्रावधान उचित मुल्य दुकान आवंटन के लिये अनिवार्य अर्हता होगी।
13. आवेदक द्वारा दी गई सूचनाए गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

Signature valid

Digitally signed by Upendra Dhaka
Designation : District Supply Officer
Date: 2025.07.09 12:13:36 IST
Reason: Approved

उक्त रिक्तियों में कमी/बढौतरी/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियो को भरने /ना भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

14. सभी रिक्त/अतिरिक्त दुकानों हेतु आवेदन निर्धारित अवधि में पूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदको को कार्यालय में जमा करवाने होंगे।

विज्ञप्ति आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(उपेन्द्र ढाका)
जिला रसद अधिकारी
डीडवाना–कुचामन

क्रमांकः सम/2025 दिनांक : यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान अति. खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमान उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. श्रीमान सांसद महोदय, नागौर।
6. श्रीमान विधायक महोदय डीडवाना/नावां/मकराना/परबतसर/लाडनू
7. ए.सी.पी. खाद्य विभाग जयपुर उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट food.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु।
8. उपखण्ड अधिकारी कुचामन/डीडवाना/नावां/मकराना/परबतसर/लाडनू
9. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी डीडवाना–कुचामन को सम्पूर्ण जिले के समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
10. प्रवर्तन अधिकरी/निरीक्षक समस्त जिला डीडवाना–कुचामन।
11. सम्पादक राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर/दैनिक नवज्योति।
12. रक्षित पत्रावली।

जिला रसद अधिकारी
डीडवाना–कुचामन

Signature valid

Digitally signed by Upendra Dhaka
Designation : District Supply Officer
Date: 2025.07.09 12:13:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16056890